

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी.क्रमांक 125 /149/1(3)/77 भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 1977.

प्रेषक,

के.एन.श्रीवास्तव,
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

प्राप्त,

सचिव, भारत सरकार,
मंत्री मण्डल, सचिवालय,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
नई दिल्ली.

मुख्य सचिव,
समस्त राज्य शासन.

विषय :- हरिजन /आदिवासी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र अंग्रेजित किए जाने बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर क्षेत्रीय निर्देशक, भारत सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में हरिजन / आदिवासी कर्मचारियों को सुविधा देने संबंधी जो सुझाव दिए गए हैं, उसका उद्घरण संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह निवेदन करने के निदेश हुए हैं कि भारत शासन तथा अन्य राज्य शासनों में इस संबंध में प्रचलित व्यवस्था क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाए । अतः आपसे निवेदन है कि भारत शासन / राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षण संबंधी यदि कोई आदेश जारी हुए हो, तो कृपया राज्य शासन को निर्देशों की प्रति के साथ जानकारी देने का कष्ट करें, जिससे कि क्षेत्रीय निर्देशक के सुझाव पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके ।

ए.ए.
1

भवदीय,



(के.एन.श्रीवास्तव)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

उ द्घरण

11- (ब) क्षेत्रीय निर्देशक द्वारा एक सुझाव यह भी दिया गया था कि प्रशिक्षण हेतु शासकीय विभागों में कार्यरत हरिजन / आदिवासी कर्मचारी यदि आवेदन करें तो विभागों द्वारा उनके आवेदन-पत्र प्रायः अप्पेक्षित किये जाने चाहिये । इससे न केवल उन कर्मचारियों को अपना श्रविष्य सुधारने का अवसर मिलेगा बल्कि अनुभवी प्रशिक्षणार्थी होने के नाते प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता का प्रतिशत बढ़ सकेगा । वे चाहते थे कि शासकीय विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाय कि यदि उनके विभागों से हरिजन/आदिवासी कर्मचारी इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन करें तो वे अकारण उनके आवेदन-पत्र न रोकें । प्रशिक्षण काल में उन्हें नियमानुसार छुट्टी दी जानी चाहिये ।

12- क्षेत्रीय निर्देशक का एक सुझाव यह भी था कि प्रशिक्षण काल के दौरान यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की नियुक्ति शासकीय विभागों में हो जाती है तो उस विभाग द्वारा प्रशिक्षण समाप्त होने तक की अवधि उसे अपना नवीन पद ग्रहण करने के लिये दी जानी चाहिये अर्थात् जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई हो वह उक्त अवधि तक रिखा रखा जाय ताकि वह प्रशिक्षण के उपरांत कार्यभार ग्रहण कर सके ।